राजस्थान–सरकार
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राज0जयपुर।

क्रमांकःई–26/राजप/पीजी–2012/2014/ 738 दिनांक : 3-9-2014

—: संशोधित–आदेश :—

निर्देशानुसार निदेशालय के पूर्व आदेश क्रमांकः 975 दिनांकः 30.10.2012, 1077 दिनांकः 07.12.2012, 22 दिनांकः 11.01.2013,एवं 748 दिनांक 03.10.2013 में आंशिक संशोधन करते हुये निम्नांकित चिकित्सकों को उनके नामों के सम्मुख अंकित तिथि के अनुसार एतद द्वारा अध्ययन/असाधारण अवकाश स्वीकृत किया जाता है:-

क्र. सं.	चिकित्सक का नाम	पीजी में अध्ययनरत् विभाग	अध्ययन/असाधारण अवकाश अवधि
1.	डॉ. सुरेन्द्र पाल मौर्य	सर्जरी	02.03.2012 से 31.05.2014
2.	डॉ. सरोज माली	ई.एन.टी.	02.03.2012 से 31.05.2014
3.	डॉ. पूनम टाक	माईक्रोबायोलोजी	02.03.2012 से 29.06.2014
4.	डॉ. महेन्द्र कुमार	पैथोलोजी	02.03.2012 से 29.06.2014
5.	डॉ. नितेश कवंर शेखावत	गायनी	02.03.2012 से 16.10.2014 (दिनांकः 20.12.2012 से 06.05.2013 तक 138 दिवस का प्रसूति अवकाश का उपभोग करने के कारण पूर्व में स्वीकृत अध्ययन अवकाश में 138 दिवस की अभिवृद्वि की गई है।)

यह अध्ययन अवकाश उन्हीं चिकित्सकों हेतु मान्य होगा, जिनका पी0जी0 में चयन सेवारत कोटे के तहत हुआ है। तथा पूर्व में सेवारत कोटे का लाभ प्राप्त नहीं किया हो। अन्य शर्ते उनके पूर्व आदेशों के अनुसार यथावत रहेंगी।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं,
राज0जयपुर।

क्रमांकःई–26/राजप/पीजी–2012/2014/ 738 दिनांकः 3-9-2014

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

निजी सचिव, माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. शासन उप सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–2) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. रजिस्ट्रार, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर।
4. सम्बन्धित मेडिकल कॉलेज।
5. सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी।
6. सम्बन्धित प्रमुख चिकित्सा अधिकारी।
7. सेन्ट्रल सर्वर रूम को भेजकर लेख है कि आज ही विभाग की वैबसाईट पर डालने का श्रम करें।
8. रक्षित पत्रावली।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं,
राज0जयपुर